



DELHI POLICE 2025

CONSTABLE HCM AWO/TPO DRIVER



यकीन बैच

POLITY

मौलिक कर्तव्य
(FUNDAMENTAL DUTY)



LIVE

14-02-2025 12:10 PM

कल → राज्य के नीति निर्देशक (DPSP)

Art-47

→ नशीले पदार्थों पर प्रतिबन्ध एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य, पोषण स्तर में सुधार
Prohibition on narcotic substances and improving public health
and Nutrition Level.

Ex - बिहार

Art-48 → कृषि एवं पशुओं की सुरक्षा [Protection of agriculture and Animals]

Ex → गौवंश की हत्या पर रोक

Act → 48 A / 48 क → 49वै CA 1976

पर्यावरण संरक्षण, वन एवं अन्य जीवों की रक्षा /
Environment protection, and protection of forest and wildlife.

Act 49 → राष्ट्रीय एवं ऐतिहासिक स्मारकों की रक्षा / Protection of Nation and Historical Monuments. → Ex - इण्डिया गेट, लाल किला

Act-50 → कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का अलग होना / separation of Executive and judiciary

Art 51

→ अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति एवं सुरक्षा और भारत की विदेश नीति
Internal peace and security, India's foreign policy.

मौलिक कर्तव्य / Fundament duties

मूल संविधान में नहीं थे / F.d were not in original Constitution

भाग 4क / अर्च 4A
अर्च 51क / 51A

→ 42वें संविधान संशोधन अधि. - 1976 [42th CA - 1976] द्वारा जोड़ा गया

छोटा संविधान / Mini Constitution

प्रेरित / Inspired → रूस / Russia

सरकार / Gov - इन्दिरा गांधी सरकार

⇒ सिफारिस / Recommendation →

परदार खर्ग सिंह समिति

⑧ Fundamental duties जोड़ी जायें।

जोड़े गये मौलिक कर्तव्य - [10]

वर्तमान में मौलिक कर्तव्य (F.P) - 11

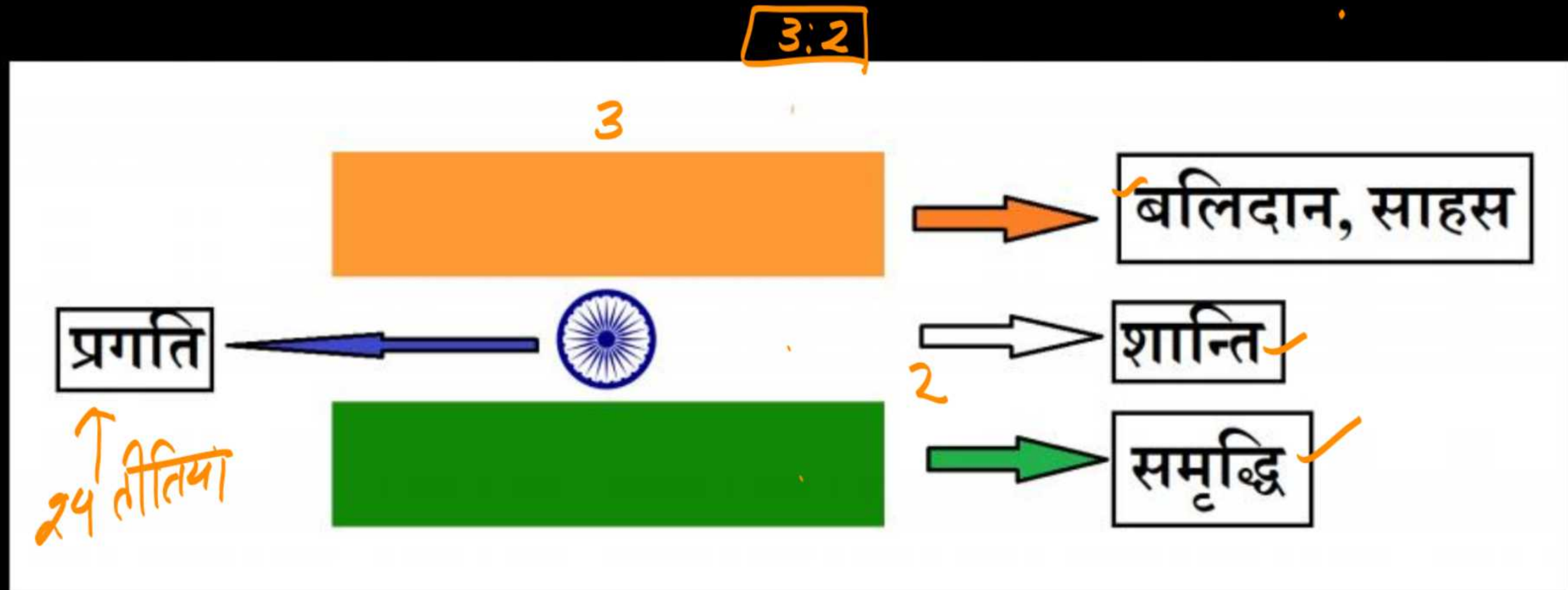
11 वा F.P → 86 वा संविधान संशोधन अधि-2002 जोड़ा गया

राज्य एवं मातापिता का कर्तव्य है — 6 years - 14 years बच्चों का प्रारम्भिक शिक्षा
निशुल्क

Art. 51A(K)

मौलिक कर्तव्य – (Art- 51A(a)) राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रीयगान का सम्मान,
संविधान का पालन करना चाहिए।

Fundamental Duties - 1. Respect for the National Flag and National Anthem, the constitution should be followed.



Art 51A (b) स्वतन्त्रता सैनानियों एवं उनके उपदेशों का सम्मान

Respect for freedom fighters and their sermons

Art 51A (c) भारत की एकता , अखण्डता और सम्प्रभुता की रक्षा

Protection of unity, integrity and sovereignty of India

Art 51A (d) देश की रक्षा के लिए तत्पर रहना चाहिए।

Should be ready to protect the country.

Art 51A (e) भारत की राष्ट्रीयता एवं भ्रातृत्व की भावना को प्रोत्साहित करना
और महिलाओं का आदर करना।

To encourage the feeling of nationalism and Fraternity of India and to
respect women.

Art 51A (f) . देश की संस्कृति को बढ़ाना । Developed the culture of the country ✓

Art 51A (g) जैव विविधता, पर्यावरण, झीले, समुद्र, पशु आदि का संरक्षण करना ।

Conservation of biodiversity, environment, lakes, oceans, animals etc.

Art 51A (h) वैज्ञानिक भावना और जानने की इच्छा का विकास करना ।

To develop scientific temper and desire to learn. ✓

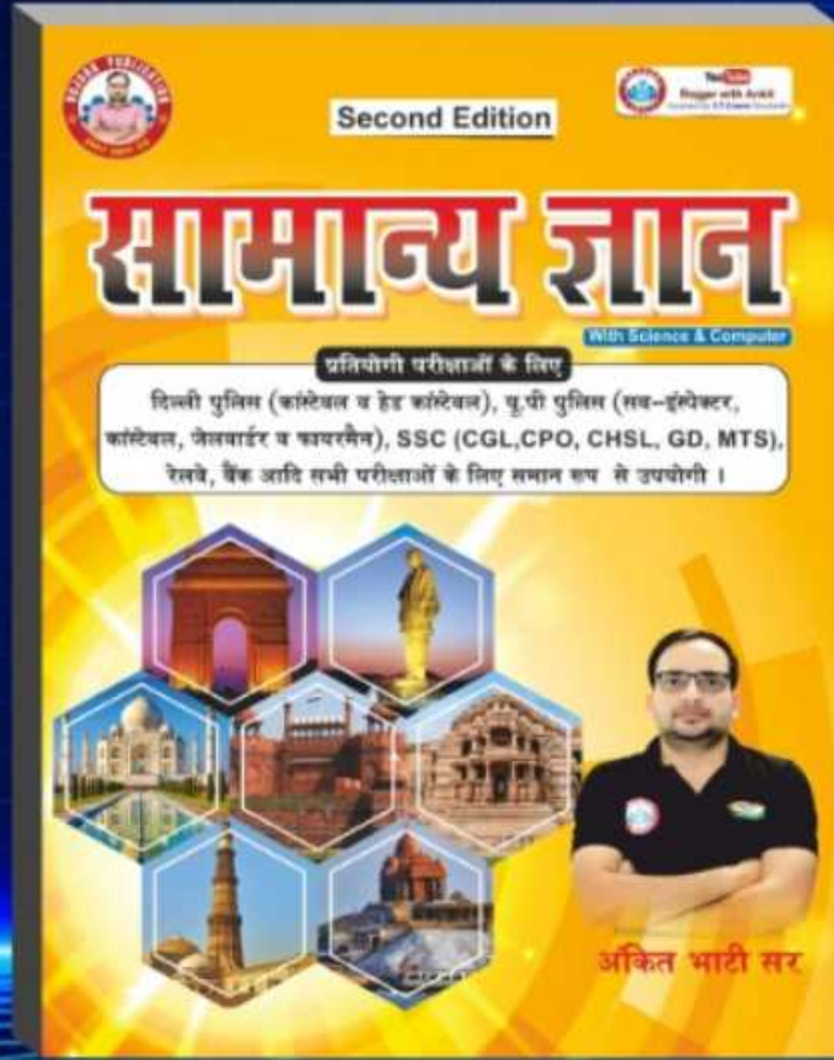
Art 51A (i) सामाजिक / राष्ट्र सम्पत्ति की रक्षा करना और हिंसा से दूर रहना ।

Protecting social/national property and staying away from violence.

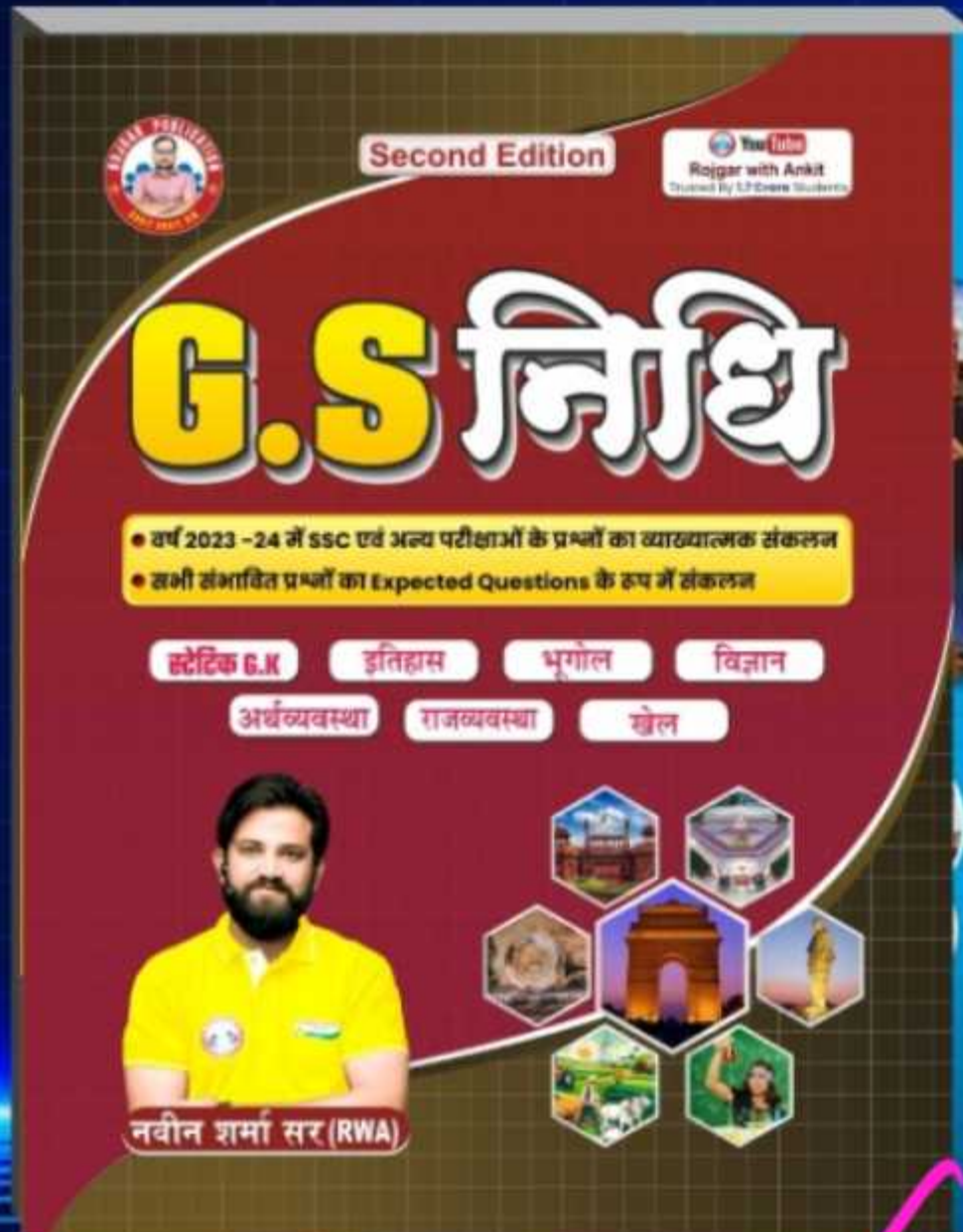
Art 51A (j) जीवन में हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का प्रयास करते रहना ।

Keep trying to move forward in every field of life. ✓

⇒ Art. 51 A (k) - माता-पिता या अभिभावक का अपने बच्चे को शिक्षा के अवसर प्रदान करने का कर्तव्य, (छह से चौदह वर्ष की आयु के बीच के मामलों में)
Duty of parents or guardians to provide opportunities for education to their child, in cases between the age of six to fourteen years.



- ➔ SSC के साथ साथ अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में G.S.का आधार (Base) तैयार करने वाली महत्त्वपूर्ण / उपयोगी पुस्तक ।
- ➔ विगत वर्षों के अति महत्त्वपूर्ण एवं संभावित प्रश्नों का थ्योरी में समावेश ।
- ➔ थ्योरी में समाहित अधिकतम बिंदु NCERT तथ्यों पर आधारित ।



- विगत वर्षों (2024, 2023, 2022, 2021 एवं 2020) में आयोजित SSC की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए G.S. के महत्वपूर्ण प्रश्नों का व्याख्यात्मक हल।
- G.S. के सभी Topics (स्टैटिक, राजव्यवस्था, इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था तथा विज्ञान) के अंतर्गत प्रश्नों का क्रमानुसार संकलन।
- आपके अपने प्रिय नवीन सर के दिशा निर्देशों पर आधारित बिन्दुओं को व्याख्या में समाहित किया गया है।